प्रेस विज्ञप्ति
12.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी के एक मामले में 4.50 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों और 1.70 करोड़ रुपये की नकदी को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।.

ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर विकास कालरा और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। विभिन्न निवेशकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्रेडिकेट एजेंसी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के नाम पर एक काल्पनिक और गैर-मौजूद इकाई बनाई, ताकि निर्दोष जनता को भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश आकर्षित किया जा सके। उन्होंने इस इकाई की वेबसाइट का उपयोग करके हजारों निवेशकों को धोखा दिया, उनकी यूजर आईडी बनाई और दौरान पता चला है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

जांच में पता चला है कि विकास कालरा, तरुण तनेजा और अन्य लोगों ने आपस में मिलीभगत करके क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के क्रेडिट पॉइंट के रूप में रिटर्न का भुगतान किया, जिसे केवल नए निवेशकों को जोड़कर ही भुनाया जा सकता था। करोड़ों रुपये का निवेश मुख्य रूप से संदिग्धों को नकद, बैंक खातों और क्रिप्टो वॉलेट में प्राप्त हुआ।

ईडी ने संदिग्ध व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के कई बैंक खातों की जांच की, जिससे पता चला कि अपराध से प्राप्त आगम को विभिन्न बैंक खातों, क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से शोधित किया गया है और अंत में उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है। अपराध से प्राप्त आगम जो नकद में उत्पन्न हुई है, उसका उपयोग इन अचल संपत्तियों को खरीदने में भी किया गया है।

आगे की जांच जारी है।